समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प सागर म.प्र.

श्रीमति देवकी बाई दुबे आयु 55 वर्ष पत्नि कालीचरण दुबे,
निवासी ग्राम रजाखेड़ी तहसील व जिला सागर म.प्र. == = आवेदिका

-: विरूद्ध :-

काशीदास दुबे बल्द गोविन्द दास दुबे,
आयु 50 वर्ष निवासी मकरोनिया चौराहा सागर
तहसील व जिला सागर म.प्र. == == अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदिका निम्नानुसार निवेदन करती है :-

उपरोक्त आवेदिका न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सागर द्वारा राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 44-अ/27 वर्ष 11-12 मे पारित आदेश दिनांक 30-7-2012 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदिका को दिनांक 7-9-2012 को प्राप्त हुयी से परिवेदित होकर निम्नलिखित मुख्य आधारो के अलावा अन्य आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करती है :-

प्रकरण का सारांश

यह कि, न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सागर के समक्ष दिनांक 25-5-2006 को उभय पक्षों द्वारा आदेश 23 नियम 3 सी0 पी0सी. का आवेदन प्रस्तुत कर व्यवहार अपील क्र. 14-अ/93 नि.दि. 07-09-94 के अनुसार एवं व्यवहार वाद क्र. 16-अ/2002 पक्षकार काशीदास बनाम देवकाबाई मे पारित निर्णय व जय पत्र दिनांक 03-09-2003 के परिपेक्ष्य मे दिनांक 25-5-2006 उभय पक्षों द्वारा आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा आवेदन पत्र मे लिखी शर्तों के अनुसार धारा 178 म.प्र.

R- 4241- 15/12 (प्रकाश)

31-8-16	सूचना उप निवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनाo की ओर से श्री एसo पीo तिवारी अधिo एवं पक्षकार का भी ज्ञात हुये एवं उपo। समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। निवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [illegible] उपजि	[illegible] 31/8/16 एस०पी० तिवारी (अधिवक्ता उत्तर)

R 2/8/c